



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 484]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2012—अग्रहायण 2, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. डी-15-58-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, तथा इस विभाग की पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2011 (जो कि राजपत्र में दिनांक 25 नवम्बर 2011 को प्रकाशित हुई है) जिसकी कालावधि 24 नवम्बर 2012 तक है को राज्य सरकार, एतद्वारा, आगामी एक वर्ष तक बढ़ाया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. डी-15-58-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 नवम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव।

Bhopal, the 23rd November 2012

No.D-15-58-2011-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under the provisions of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), and subject to the terms and conditions specified in this department's same numbered earlier notification dated 15th November 2011 (published in the State Gazette dated 25th November 2011) and is effective till 24th November 2012, the State Government, hereby, further extend it for ONE year.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.